स्थानीय स्वशासन : नगरपालिका एक महत्वपूर्ण निकाय के विशेष संदर्भ में।

अमृतेश कुमार

वर्त्तमान जगत में स्थानीय शासन, शासन की पंचस्तरीय व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। इस व्यवस्था का शीर्षस्थ स्तर संयुक्त राष्ट्र संघ है। वह एक राष्ट्रोपरि संस्था है और उसका रूप शुद्ध ऐच्छिक है। वह अपने प्रभुत्व सम्पन्न सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्धों और व्यवहार के लिए आचार–संहिता निर्धारित करता है। किन्तु वह उनके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है और उसके कार्य सदस्यों के प्रभुसत्तात्मक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकते है। शासन–व्यवस्था के दूसरे स्तर पर हमें पृथक–पृथक राष्ट्रीय राज्य देखने को मिलते है जो अपनी राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर अपने राष्ट्रीय संविधानों के अनुसार कार्य करते है। तृतीय स्तर में राष्ट्रों के क्षेत्रीय संगठनों जैसे–यूरोपीय संघ, दक्षिण एशिआई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) इत्यादि को सम्मिलित किया जा सकता है जो अपनी प्रकृति में सलाहकारी संस्थायें है। ये भी गैर–सम्प्रभु संस्थायें हैं। राष्ट्रीय राज्यों के घटक–राज्य, प्रान्त आदि शासन–व्यवंस्था के चतुर्थ स्तर पर आते हैं। पाँचवा स्तर स्थानीय शासन है। उसकी रचना राष्ट्रीय अथवा राज्यीय कानूनों के द्वारा की जाती है और वह सं.विधि द्वारा निर्धारित सीमित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्य करता है।